

राजस्थान नगर विकास निगम
नगर विकास निगम

क्रमांक : १११९३/नविन/३४३

कोटा, दिनांक : २५-१-२००१

श्रीमान
नगर विकास न्यास,
अजमेर / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / भीलवाड़ा /
कोटा / उदयपुर / भरतपुर / श्रीगंगानगर

विषय:- भूमि सन्तारण नियमों के अन्तर्गत प्राप्त
अधिकारों द्वारा प्राप्त फलफूलों के सम्बन्ध में।

copy
recd

सहोदर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भूमि सन्तारण हेतु
नगर विकास न्यासों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नियुक्त अधिकृत
अधिकारियों को भूमि सन्तारण के सम्बन्ध में राजस्थान राजस्व विभाग
की धारा १० की अन्तर्गत कार्यवाही के साथ साथ फलफूलों के नियमों के अन्तर्गत
संयोजित देने आदि सम्बन्धित कार्यवाही करने हेतु अधिस्त किया जाता है।

अधीन,

18.1.01

उप आसन सचिव

क्रमांक : १११९३/नविन/३४३

दिनांक : २५-१-२००१

प्रतिनिधि स्वनायक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- १- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा।
- २- उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा।
- ३- अधिशासक अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/जन, नगर विकास न्यास, कोटा।
- ४- तहसीलदार/लेखाधिकारी/मुख्य विधि सहायक/कार्यालय अधीक्षक, नगर विकास न्यास, कोटा।
- ५- वॉनिज सहायक अध्यक्ष/निजी सहायक सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।

विभागाधिकारी

नगर विकास न्यास, कोटा

(126)

134